

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.4(ई)/(पी-55/2011)/अलेसे -III/१६५-६४

दिनांक :- १४.०२.२०१५

आदेश

श्री प्रशान्त गौतम, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन) कार्यालय कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़ को उनके आवेदन एवं कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा की गई अभिशंषा के अनुसरण में निम्नांकित तालिकानुसार कुल 43 दिवस का असाधारण अवकाश (चिकित्सकीय आधार पर) राजस्थान सेवा नियमों के नियम- 96(1) के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है।

क्रम सं	असाधारण अवकाश की अवधि	
	दिनांक	कुल अवधि
1	19.05.2014 से 31.05.2014	13 दिवस
2	01.06.2014 से 07.06.2014	07 दिवस
3	08.06.2014 से 12.06.2014	05 दिवस
4	16.06.2014 से 30.06.2014	15 दिवस
5	01.07.2014 से 03.07.2014	03 दिवस
	कुल	43 दिवस

वित्त (नियम) विभाग के मेमोरेण्डम नं० एफ.1(2)एफ.डी/रुल्स/06 पार्ट-I जयपुर दिनांक 11 जून, 2014 के अनुसार श्री प्रशान्त गौतम, क० लेखाकार द्वारा एक माह (30 दिवस) की अवधि से 13 दिवस अधिक का असाधारण अवकाश लेने के कारण इनका परिवीक्षा काल 02 वर्ष के स्थान पर 02 वर्ष 13 दिवस का होगा।

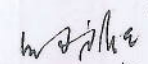

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक एफ.4(ई)/(पी-55/2011)/अलेसे -III/१६५-६४

दिनांक :- १४.०२.२०१५

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़ को श्री गौतम, क० लेखाकार के सेवा अभिलेख में लाल स्याही से आवश्यक इन्द्राज करने हेतु प्रेषित है।
2. श्री प्रशान्त गौतम, कनिष्ठ लेखाकार कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़ को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. कम्प्यूटर शाखा।


(जसवन्त सिंह)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)